न्यायालय – शिवेंद्र कुमार टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी (छ.ग.)	
निर्णय दिनांक : 30.05.2024 अपराधिक प्रकरण क्रमांक: 2257/22 अपराध क्रमांक 628/22, धारा – 324/34 भा.द.सं.	
अभियोजक	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– थाना प्रभारी, थाना– सिटी कोतवाली, जिला–धमतरी (छ.ग.)
अभियोजन के पक्ष समर्थन हेतु	ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	1.दिनेश हल्बा पिता सुरेन्द्र हल्बा 2.सुरेन्द्र हल्बा पिता इंदर हल्बा
अभियुक्त के पक्ष समर्थन हेतु	श्री डी.एस. मोरार अधिवक्ता

घटना का दिनांक	11.12.2022
रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	11.12.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	22.12.2022
आरोप विरचित करने की तिथि	08.12.2023
साक्ष्य की आरंभिक तिथि	04.03.2024
निर्णय की तिथि	30.05.2024

CGDH020025712022

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ़्तारी दिनांक	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित अपराध की धाराएं	दोषसिद्ध / दोषमुक्ति	अधिरोपित दण्ड	धारा – 428 द.प्र.सं के तहत सजा में मुजरा की गयी अवधि
1.	दिनेश हल्बा पिता सुरेन्द्र हल्बा	14.12.22	14.12.22	324/34 भा.द.सं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
2.	सुरेन्द्र हल्बा पिता इंदर हल्बा	14.12.22	14.12.22	324/34 भा.द.सं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	3
4	स्वीकृत तथ्य	3
5	अभियोजन का कथानक	4
6	अभियुक्त का अभिवाक	5
7	विचारणीय प्रश्न	5
8	कारण एवं निष्कर्ष	6
9	सजा में मुजरा की गई अवधि	–
10	सम्पति का व्ययन	9
11	धारा 428 द.प्र.सं के तहत प्रमाण पत्र	10
12	निर्णय की प्रतिलिपि	1–10

(निर्णय)

(आज दिनांक 30/05/2024 को घोषित)

(01) अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 324 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत अभियोग है कि उनके द्वारा दिनांक 11/12/2022 को समय रात्रि करीबन 08.00 बजे, स्थान– स्टेशन पारा गौरा चौरा के पास धमतरी, थाना–सिटीकोतवाली, जिला–धमतरी (छ.ग.) अन्तर्गत थाना–सिटी कोतवाली, जिला धमतरी में मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी विष्णु ध्रुव, उसकी पत्नी ममता ध्रुव एवं जागेश्वर साहू को उपहति कारित करने के आशय से हाथ मुक्का से प्रार्थी विष्णु ध्रुव बाये हाथ की कोहनी, दाहिने पैर की माड़ी व उसकी पत्नी ममता ध्रुव के दाहिने हाथ की कनपटटी, बायें हाथ के कोहनी के उपर तथा जागेश्वर साहू के बाये पसली को मारकर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित किया ।

(02) प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी एवं आहतगण संतोष विष्णु ध्रुव, ममता ध्रुव व जागेश्वर ध्रुव के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामा के आधार पर आरोपी अशोक कुमार साहू को धारा 294,506 भाग दो भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया है । अतः इस निर्णय द्वारा आरोपी अशोक कुमार साहू पर आरोपित धारा 324/34 भा.द.सं. का निराकरण किया जा रहा है ।

(03) अभियोजन कहानी सारांश में इस प्रकार है कि घटना दिनाँक 11.12.22 को रात्रि करीबन 08:00 बजे प्रार्थी के पड़ोसी किरायेदार खालित खान के साथ मोहल्ले के दिनेश हल्बा एवं सुरेन्द्र हल्बा वाद विवाद कर गाली गलौज कर रहे थे। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी ममता ध्रुव एवं पड़ोसी जागेश्वर साहू द्वारा गाली गलौच करने से मना करने पर आरोपी दिनेश हल्बा एवं सुरेन्द्र हल्बा एक राय होकर प्रार्थी तथा उनकी पत्नी ममता एवं जागेश्वर साहू को माँ बहन की अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। मारपीट से प्रार्थी के बांए हाथ के कोहनी, दाहिने पैर के मांडी, श्रीमती ममता ध्रुव के दाहिने हाथ के कनपट्टी, बांए हाथ के कोहनी के उपर तथा जागेश्वर साहू के बांए पसली में चोटें आने की प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 628/2022 धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना पर लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी, मुर्त. को आयी चोट का मुलाहिजा कराया गया, चोट की प्रकृति साधारण चोट एवं rouge and hard object एवं मुर्त. ममता ध्रुव की चोट की प्रकृति साधारण चोट एवं sharp and hard object तथा जागेश्वर के सीना का एक्स–रे कराने राय देने पर जागेश्वर के सीना का एक्स–रे कराया गया डॉ. द्वारा रिपोर्ट में साधारण प्रकृति का चोट होना लेख किये हैं। मुर्त. ममता ध्रुव की आयी चोट का sharp and hard object लेख करने से प्रकरण में धारा 324 भा.द.वि. जोड़ी गयी । मुर्त. प्रार्थी, मुर्त., गवाहों का कथन लिया गया। मौका नक्शा तैयार

किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया । सम्पूर्ण विवेचना में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि. का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र क्र. 546 / 2022 दिनाँक 19/12/2022 को तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र तैयार कर न्याय परीक्षण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

(04) आरोपीगण के विरूद्ध विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की 324/24 के तहत् आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्त की प्ली उसी के शब्दों में अंकित की गई। धारा 313 द.प्र.सं के तहत अभियुक्त कथन तैयार कर अभियुक्त का परिक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी के द्वारा प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य नहीं दिये गये है।

(05) प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित **विचारणीय बिन्दु** उद्भूत होते हैं: –

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 11/12/2022 को समय रात्रि करीबन 08.00 बजे, स्थान– स्टेशन पारा गौरा चौरा के पास धमतरी, थाना–सिटीकोतवाली, जिला–धमतरी (छ.ग.) अन्तर्गत थाना–सिटी कोतवाली, जिला धमतरी में मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी विष्णु ध्रुव, उसकी पत्नी

ममता ध्रुव एवं जागेश्वर साहू को उपहति कारित करने के आशय से हाथ मुक्का से प्रार्थी विष्णु ध्रुव बाये हाथ की कोहनी, दाहिने पैर की माड़ी व उसकी पत्नी ममता ध्रुव के दाहिने हाथ की कनपटटी, बायें हाथ के कोहनी के उपर तथा जागेश्वर साहू के बाये पसली को मारकर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित किया ?

–:: साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष :::–

(06) उपरोक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा प्रकरण के समर्थन में निम्नलिखित साक्षियों का कथन लेखबद्ध कराया गया है:–

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम
1	विष्णु ध्रुव
2	श्रीमारी ममता ध्रुव
3	जागेश्वर साहू

(07) उपरोक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा प्रकरण के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया है:–

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का नाम
प्र.पी.1	प्रथम सुचना रिपोर्ट
प्र.पी.2	नजरी नक्शा
प्र.पी.3	धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस
प्र.पी.4	विष्णु ध्रुव का पुलिस बयान
प्र.पी.5	ममता ध्रुव का पुलिस बयान
प्र.पी.6	जागेश्वर साहू का पुलिस बयान

(08) बचाव पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है और दस्तावेजी प्रमाण स्वरूप किसी भी दस्तावेज को प्रदर्श अंकन नहीं कराया गया है।

–:: विचारणीय प्रश्न क. 1 का सकारण निष्कर्ष ::–

(09) प्रकरण में साक्षी विष्णु ध्रुव (अ.सा. – 01) का अभिसाक्ष्य है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक को 06–07 माह पूर्व आरोपी अशोक साहू से मामूली वाद विवाद हो गई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है की आरोपी के साथ मारपीट से उसके गर्दन में चोटे आई थी। उसने घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था। साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन द्वारा सूचक जैसे प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी के साथ मारपीट से उसके बांये हाथ की कोहनी, दाहिने पैर का घुटना तथा उसकी पत्नी ममता ध्रुव के दाहिने कनपट्टी, बांये हाथ की कोहनी तथा जागेश्वर साहू के बांये पसली में चोटे आई थी।

(10) प्रकरण में अन्य आहत श्रीमती ममता ध्रुव (अ.सा.02) व जागेश्वर ध्रुव (अ.सा.03) ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात से इंकार किया है की आरोपीगण के द्वारा उन्हें एवं विष्णु ध्रुव को एक राय होक्रर हाँथ मुक्के से मारपीठ किये तथा उक्त मारपीठ से उन्हें चोट आई। प्रकरण में स्वयं प्रार्थी एवं आहतगण के द्वारा अभियोजन

CGDH020025712022

कहानी का समर्थन नहीं किए जाने से प्रकरण में शेष साक्षियों का साक्ष्य हेतु आहूत कर उनका प्रकरण लेखबद्ध नहीं किया गया है ।

(11) प्रकरण में स्वयं प्रार्थी / आहतगण के द्वारा यह कथन किए जाने से कि आरोपी ने उसे मारपीट कोई चोंट नहीं पहुंचाया था । अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि घटना दिनांक 11/12/2022 को समय रात्रि करीबन 08.00 बजे, स्थान– स्टेशन पारा गौरा चौरा के पास धमतरी, थाना–सिटीकोतवाली, जिला–धमतरी (छ.ग.) अन्तर्गत थाना–सिटी कोतवाली, जिला धमतरी में मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी विष्णु ध्रुव, उसकी पत्नी ममता ध्रुव एवं जागेश्वर साहू को उपहति कारित करने के आशय से हाथ मुक्का से प्रार्थी विष्णु ध्रुव बाये हाथ की कोहनी, दाहिने पैर की माड़ी व उसकी पत्नी ममता ध्रुव के दाहिने हाथ की कनपटटी, बायें हाथ के कोहनी के उपर तथा जागेश्वर साहू के बांये पसली को मारकर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित किया।

(12) साक्ष्य विवेचना पर से अभियोजन साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को भा.दं.सं. की धारा– 324 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

CGDH020025712022

(13) आरोपी के द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र / मुचलका अंतर्गत धारा 437(क) द.प्र.सं. निर्णय दिनांक से आगामी 6 माह के लिये प्रभावशील होगा। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत् प्रमाण पत्र बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

(14) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति निरंक है।

(15) प्रकरण में अभियुक्त द्वारा बितायी गई अवधि हेतु पृथक से धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया गया जो निर्णय का भाग होगा।

दिनांक :– 30.05.2024

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

SHIVENDRA KUMAR TEKAM Digitally signed by SHIVENDRA KUMAR TEKAM Date: 2024.05.30 17:50:07 +0530

शिवेंद्र कुमार टेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

SHIVENDRA KUMAR TEKAM Digitally signed by SHIVENDRA KUMAR TEKAM Date: 2024.05.30 17:50:15 +0530

शिवेंद्र कुमार टेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी (छ.ग.)

CGDH020025712022

न्यायालय – शिवेंद्र कुमार टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी (छ.ग.)

अपराधिक प्रकरण क्रमांक: 2257/22
अपराध क्रमांक 628/22
छ.ग. राज्य विरुद्ध दिनेश हल्बा वगैरह

(धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र)

क्र.	अभियुक्त का नाम व पता	अधिनियम/ धाराएं	गिरफ्तारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा अवधि	न्यायिक अभिरक्षा अवधि
1.	दिनेश हल्बा पिता सुरेन्द्र हल्बा	धारा – 324/34 भा.द.सं.	14.12.2022	निरंक	निरंक
2.	सुरेन्द्र हल्बा पिता इंदर हल्बा	धारा – 324/34 भा.द.सं.	14.12.2022	निरंक	निरंक

SHIVENDRA KUMAR TEKAM
Digitally signed by SHIVENDRA KUMAR TEKAM
Date: 2024.05.30 17:50:26 +0530

स्थान – धमतरी
दिनांक – 30/05/2024

शिवेंद्र कुमार टेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी (छ.ग.)